# उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा–3–1168/दस–935·87

लखनऊ, दिनांक 22 जून, 1987

---

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:– 1–1–86 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त/मृतक राज्य कर्मचारियों को पेंशन / पारिवारिक पेंशन के आगणन का सरलीकरण / उदारीकरण

---

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1–1–86 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों तथा सेवारत मृत्यु हो जाने वाले सरकारी सेवकों के परिवारों के लिये पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आगणन की प्रक्रिया तथा दरों में निम्न संशोधन किये हैं :–

## लागू करने की तिथि

2–1 यह आदेश उन सरकारी सेवकों को पेंशन / पारिवारिक पशन के संबंध में लागू होंगे जो 1–1–86 अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त हुए हों अथवा जिनकी मृत्यु 1–1·86 अथवा उसके उपरान्त हुई हो। जो सरकारी सेवक 1–1–86 के पूर्व सेवा निवृत्त / मृत हो चुके थे उनके सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

2.2–1–1–86 के बाद सेवा निवृत्त अथवा मृतक सरकारी सेवकों के जिन मामलों में पेंशने /पारिवारिक पेंशनें निर्धारित की जा चुकी हैं उन्हें इन आदेशों के अनुसार पुनरीक्षित कर दिया जावेगा।

## परिलब्धियां

3.1–इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तगत पेंशनरों एवं मृत्यु संबंधी समस्त लाभों के आगणन हेतु परिलब्धियों का अभिप्राय मूल नियम 9(21) (1) में परिभाषित मूल वेतन से होगा। पेंशन का आगणन सेवा निवृत्ति के पूर्व ठीक 10 माह के औसत के आधार पर किया जायेगा तथा अन्य पेंशनरी लाभों के आगणन हेतु परिलब्धियों का अभिप्राय मूल नियम 9(21) (1) में परिभाषित अन्तिम आहरित मूल वेतन से होगा।

3.2–पेंशनीय लाभों के आगणन हेतु उपरोक्त प्रस्तर 3.1 के अनुसार आगणित परिलब्धियों में महंगाई के 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ता जो शासनादेश संख्या वे0 आ0 715 / दस 66 एम) –1982, दिनांक 1–4–1986 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था को भी सम्मिलित किया जायेगा। साथ ही शासनादेश संख्या वे0 आ0 312 / दस–7 (एम) –84, दिनांक 6–2–1985, संख्या वे0 आ0 1–2425/दस–7–(एम)-84, दिनांक 15–10–1985 तथा संख्या वे0 आ0–1–742/ दस–7 (एम)–84, दिनांक 1–4–1986 के अन्तर्गत स्वीकृत तदर्थ महंगाई भत्ते को भी यथास्थिति सम्मिलित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पेंशन के आगणन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1–1–86 के उपरान्त स्वीकृत अन्तरिम सहायता की किश्तों को भी सम्मिलित किया जायेगा। औसत परिलब्धियों के आगणन हेतु महंगाई भत्ते / तदर्थ महंगाई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता का आगणन सेवा निवृत्ति के पीछे के 10 मासों के औसत के आधार पर किया जायेगा। 1–1–86 के पूर्व के मासों के लिये देय 568 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ते को ही परिलब्धियों में जोड़ा जायेगा।

4.1–10 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सर्विस ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी जिसकी दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिये आधे माह की परिलब्धियों के बराबर होगी।

4.2–पेंशन का आगणन 1–1–86 के पूर्व लागू स्लैब सिस्टम के बजाय औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा और उसका अधिकतम 4,500 रु0 होगा।

## अतिरिक्त पेंशन के आधार पर राशिकरण

5.1–इन आदेशों के अन्तर्गत किये गये पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप यदि पेंशन में वृद्धि हुई हो तो उस वृद्धि के एक-तिहाई के आधार पर राशिकरण की धनराशि भी पुनरीक्षित की जा सकती है और अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया जा सकता है।

## डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी

6.1–वर्तमान में अनुमन्य डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के स्थान पर रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी तथा डेथ ग्रेच्युटी के अलग-अलग प्राविधान किये जाते हैं। रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी केवल उन्हीं सरकारी सेवकों को अनुमन्य होगी जिन्होंने 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की धनराशि अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये अन्तिम आहरित परि-लब्धियों के 1/4 के बराबर होगी तथा जिसका अधिकतम परिलब्धियों के 16-1/2 गुने के बराबर होगा, अपेक्षित प्रतिबन्ध [illegible] की धनराशि रुपया एक लाख से अधिक नहीं होगी। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के आगणन हे

6.2--सेवारत मृत्यु होने की दशा में देय ग्रेच्युटी अनुज्ञेय होगी जिसकी दरें निम्नवत् होंगी:--

| सेवा अवधि | | देय ग्रेच्युटी की दर |
|---|---|---|
| 1---एक वर्ष से कम | .. | परिलब्धियों का दो गुना । |
| 2--एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम | | परिलब्धियों का 6 गुना । |
| 3---5 वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम | | परिलब्धियों का 12 गुना । |
| 4--20 वर्ष या उससे अधिक | .. | अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के आधे के बराबर जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर होगी, अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी होगा कि ग्रेच्युटी की धनराशि किसी भी दशा में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी । |

आगणन योग्य परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

## पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशन की दरें निम्नवत् होंगी । इन दरों में 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ते को सम्मिलित कर लिया गया है : ..

| मूल वेतन प्रति माह | | पारिवारिक पेंशन की मासिक दर जिसमें 608 मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई भत्ता सम्मिलित कर लिया गया है |
|---|---|---|
| 1--1,500 रु0 से अनधिक | .. | मूल वेतन का 30 प्रतिशत । |
| 2--1,500 रु0 से अधिक किन्तु 3,000 रु0 से अनधिक | | मूल वेतन का 20 प्रतिशत जिसका न्यूनतम 450 रु0 प्रतिमाह होगा । |
| 3--3,000 रु0 से अधिक | .. | मूल वेतन का 15 प्रतिशत जिसका न्यूनतम 600 रु0 तथा अधिकतम 1,250 रु0 होगा । |

### दिनांक 1--1--86 तथा वर्तमान तिथि के बीच सेवा निवृत्ति सरकारी सेवकों के संबंध में स्पष्टीकरण

8.1--भारत सरकार द्वारा अपने सेवकों के संबंध में दिनांक 1--1--86 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये गये हैं । राज्य सरकार द्वारा अपने सेवकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु एक वेतन समिति का गठन किया गया है जिसकी सिफारिशें अभी अपेक्षित हैं । अतः उपरोक्त अवधि में सेवा निवृत्त पेंशनरों की पेंशनों के नये वेतनमानों के आधार पर पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी । तदुपरान्त उपरोक्त अवधि में सेवा निवृत्त सभी सरकारी सेवकों को यह विकल्प उपलब्ध कराया जाना होगा कि वे पुराने वेतनमानों के तथा पेंशन के आगणन की तत्समय उपलब्ध व्यवस्था के आधार पर अपनी पेंशन का आगणन करा लें अथवा नये वेतनमानों तथा नयी पेंशन व्यवस्था के आधार पर अपनी पेंशन का आगणन करायें ।

8.2--इस अवधि के बीच सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार पेंशनरी लाभों का पुनरीक्षण सम्बन्धित पेंशन स्वीकृत वर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा । यदि कोई पेंशनर उपरोक्त प्रस्तर 8.1 में उल्लिखित वेतन समिति की सिफारिशों पर वेतनमानों के पुनरीक्षण के पूर्व ही अपनी पेंशन पुनरीक्षित करवाना चाहता है तो उसे यह छूट होगी कि वह अपना प्रार्थना-पत्र उसके पूर्व ही सम्बन्धित पेंशन स्वीकृत वर्ता अधिकारी को भेज दें । पेंशन के पुनरीक्षण हेतु आवश्यक प्रार्थना-पत्र का प्रारूप भी संलग्न है ।

9.1--उपरोक्त आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर-सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा निगमों आदि के सेवकों पर स्वतः लागू नहीं समझे जायेंगे । उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा ।

बी0 के0 सक्सेना,
प्रमुख सचिव, वित्त ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

---

संख्या सा--3--1168(1)/दस--935--87, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ---

1 --महालेखाकार (द्वितीय लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 --[illegible]लय के समस्त अनुभाग ।
3 --[illegible]शा/विधान परिषद सचिवालय ।
4 --[illegible]चालय ।

5--निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6--समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7--सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रचारार्थ ।
8--श्री पी० सी० भाटिया, प्रेसीडेन्ट फेडरेशन आफ यू०पी० पेंशनर्स एसोसियेशन, 3-सी--9, पार्क रोड, लखनऊ ।
9--श्री डी० पी० मेहरोत्रा, अध्यक्ष, आल इण्डिया आर्गनाइजेशन आफ पेंशनर्स, 113/20, स्वरूप नगर, कानपुर ।
10--श्री एस० पी० पचौरी, यू०पी० राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद, 343, राजेन्द्र नगर, पांचवां मार्ग, लखनऊ ।
11--श्री एन० पी० श्रीवास्तव, जनरल सेक्रेट्री, गवर्नमेन्ट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाइजेशन, माडल हाऊस, लखनऊ ।
12--श्री एल० एन० गुप्ता, अध्यक्ष, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसियेशन, डी--62, पांडुरंग वाडी, ए० बी० नायर रोड, जुहू, बम्बई--400049 ।

आज्ञा से,
वेद प्रकाश अग्रवाल,
संयुक्त सचिव ।

---

शासनादेश संख्या..... दिनांक.....

के अन्तर्गत पेंशन पुनरीक्षण का प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

..... (महालेखाकार अथवा मुख्य लेखा-
..... अधिकारी का पद, नाम एवं पूरा पता)
.....

1--प्रार्थी का नाम

2--पिता / पति का नाम

3--सेवा निवृत्ति के समय धारित पद

4--कार्यालय / विभाग का पूरा नाम एवं पता जहां से सेवानिवृत्त हुए

5--पी० पी० ओ० संख्या--

6--स्वीकृत पेंशन की धनराशि---

(i) राशिकरण के पूर्व.....

(ii) राशिकरण के बाद.....

7--कोषागार जहां से पेंशन आहरित होती है--

8--पेंशनर की मृत्यु हो जाने की दशा में जीवन कालीन अवशेष पाने वाले का नाम तथा पता

9--क्या अतिरिक्त पेंशन का राशिकरण चाहते हैं :---

भवदीय

---

दिनांक.....

(पेंशनर का पूरा नाम एवं पता)